5 रु. Rs. 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(41)

निगरानी 1503-II-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–उज्जैन

1– बद्री पुत्र श्री बुद्धेश्वर जी
2– सुरेश पुत्र श्री बुद्धेश्वर जी
निवासीगण – ग्राम लेकोड़ा तहसील व जिला उज्जैन (म.प्र.) ...... आवेदकगण

विरूद्ध

1– रामेश्वर पुत्र श्री नाथूजी
2– कैलाश पुत्र श्री नंदराम जी
3– महेश पुत्र श्री शंकरलाल जी
4– अनोखी लाल पुत्र श्री शिवजी राम
5– घनश्याम पुत्र श्री चिंतामण जी
6– कैलाश पुत्र श्री अम्बा राम
7– राधेश्याम पुत्र श्री जगन्नाथ जी
8– शान्ती लाल पुत्र श्री जगन्नाथ जी
9– मनोहर पुत्र श्री पूना जी
निवासीगण – ग्राम लेकोड़ा तहसील व जिला उज्जैन (म.प्र.) ...... अनावेदकगण

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/अ–13 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवदेकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारो पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उज्जैन के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 131 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया। कि भूमि सर्वे क्रमांक 899,904,896,887 आदि कृषि भूमि के वह कास्तकार है।
2. यहकि, आवेदकगण का सर्वे क्रमांक 900 है जो लेकोड़ा चिंतामण मार्ग के पूर्व की तरफ है। रास्ते से लगी हुयी है, उक्त भूमि कृषि भूमि है। उक्त भूमि पर पूर्व की तरफ बने तालाब की नहर आवेदकगण की भूमि सर्वे क्रमांक 900 के दक्षिण में पानी की निकासी हेतु पूर्व से ही परम्परागत रूप से नहर बनी हुयी है एवं उक्त भूमि के ग्राम लेकोड़ा से चलकर उत्तर दिशा की तरफ आम रास्ते का पूर्व की तरफ सर्वे क्रमांक 900 की दक्षिण में बनी नहर पर बने रास्ते को जे.सी.बी से खोदकर गड्डा कर दिया है। मिट्टी का भराव कर दिया है तथा ईट पत्थर रखकर खरे बबूल के पेड़ तथा कॉलम खोदकर रास्ते एवं नहर की भूमि पर मकान निर्माण करने का कॉलम आदि तैयार किया है। ऐसी स्थिति में कृषि भूमि पर आने जाने के रास्ते की बाधा को हटवाया जाये।
3. यहकि, अनावेदकगण के उक्त आवेदन पत्र का विरोध करते हुये आवेदकगण ने यह बताया कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य विवादित स्थल पर नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन

ब्रं. / २1मे२१२

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(41) (58)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R / 1503/II/15 जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 4/अ-13/14-15 में पारित आदेश दिनांक 15-5-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को कलेक्टर उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	